## न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना (बालोतरा)
**पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस**

**राजस्व प्रकरण संख्या 88 / 2024**

वादी :–

लुम्बाराम पुत्र रणछाराम जाति रबारी निवासी सोलंकियों का वास सिवाना

तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. गोबरराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी
2. हिमताराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी
3. जुंजाराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी
4. तुलसाराम पुत्र मूलाराम जाति चौधरी
5. आाम्बाराम पुत्र कपूराराम जाति चौधरी
6. जम्मुदेवी पत्नी कपूराराम जाति चौधरी
7. तुलछाराम पुत्र मूलाराम जाति चौधरी
8. देवा पुत्र विरदा जाति चौधरी
9. पुखराज पुत्र कपूराराम जाति चौधरी
10. भीखाराम पुत्र कपूराराम जाति चौधरी
11. रूपा पुत्र विरदा जाति चौधरी
12. रामा पुत्र विरदा जाति चौधरी

सभी निवासी ग्राम मेली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

**दावा बाबत कब्जा बेदखली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री [illegible] सोढा व हीरचन्द सुथार अधिवक्ता वादी
2. श्री [illegible]शीर हुसैन शेख ,श्री इमर[illegible] व श्री विक्रम जैन अधिवक्ता विप्राथी संख्या 1, व 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 से 13 एकपक्षीय

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

## ::निर्णय::

दिनांकः– 12.03.2026

यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 183 के तहत पेश किया है। वाद पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1193/904 रकबा 2.5040 हैक्टेयर भूमि ग्राम मेली तहसील सिवाना में अवस्थित है, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने पर पाया गया कि वादी के खसरान की भूमि का नाम प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1192/904, 818 व 903 के अन्दर तक गया हुआ है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को उक्त भूमि को खाली करने के आग्रह किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने उक्त खाली करने के जगह पक्का निर्माण करने पर आमादा है, प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा वादी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1193/904 की कुछ हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने के कारण वादी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना में नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना ने विधिवत सुनवाई कर दिनांक 16.12.2022 को पत्थर गढी हेतु आदेश जारी किये गये, उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा पत्थरगढी नेखमबंदी की कार्यवाही की जाने पर वादी के उक्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण अवैध रूप से काबिज काश्त है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को कब्जा हटाने बेदखली के लिए बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी खाली नहीं करने के कारण वादी द्वारा उक्त वाद पत्र पेश किया गया है।

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

1. आया वाद वादी ग्राम मेली के खसरा संख्या 1193/904 रकबा 02.5040 हैक्टेयर भूमि पर वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट [illegible]शित मार्क ए.बी,सी.डी. की हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा किये [illegible] जबरन कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने का अधिकारी है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

(जिम्मे वादी)

2. आया वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज योग्य है ?

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

3. अन्य अनुतोष

विवेचन किया गया।

वादी की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य पी.डब्लयू 1 वादी लुम्बाराम के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 व वादी का आधार कार्ड प्रंदर्श 2 प्रदर्शित करवाए गए।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नही किये जाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वक्त बहस वादी के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1193/904 रकबा 2.5040 हैक्टेयर भूमि ग्राम मेली तहसील सिवाना में अवस्थित है, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने पर वादी के खसरा की भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1192/904, 818 व 903 के अन्दर तक है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को उक्त भूमि को खाली करने के आग्रह किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने उक्त खाली करने के जगह पक्का निर्माण करने पर आमादा होने तथा खसरा संख्या 1193/904 की कुछ हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने के कारण वादी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना में नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना ने विधिवत सुनवाई कर दिनांक 16.12.2022 को पत्थर गढी हेतु आदेश जारी किये गये, उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा पत्थरगढी नेखमबंदी की कार्यवाही की जाने पर वादी के उक्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण अवैध रूप से काबिज रहता है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को कब्जा हटाने बेदखली के लिए बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी खाली नहीं किये गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी पर किये गये जबरन व अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करवाया जाकर, पत्थरगढ़ी नेखम पैमाईश के जरिये लगाये गये सीमा चिन्हों की

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O) सिवाना

भूमि जो वादी के हक हिस्से की है, वादी को सुपुर्द की जाकर वादी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध व जबरन कब्जा अतिक्रमण से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में जवाब के पद को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों को वादी के साथ–साथ प्रतिवादी की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने का कथन किया गया मगर राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी की भूमि का ही पत्थरगढी की गई, प्रतिवादी अपने स्वंय की भूमि पर काबिज है लिहाजा वादी का वाद मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने अपने जवाब को बहस मनाने के निवेदन किये जाने से तनकीयात की विवेचन करने की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात की विवेचना नही की गई।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया। वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य खसरा संख्या प्रदर्श 1 जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 से स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है, प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित मार्क बिन्दू संख्या ए,बी,सी,डी. के सम्बन्ध में कोई उज्र एतराज पेश नहीं किया न ही इस सम्बन्ध में कोई मौखिक/लिखित दस्तावेज या साक्ष्य ही पेश किया, जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना की मौन स्वीकृति प्रतीत होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातेदारी भूमि मौजा मैली के खेत खसरा नम्बर 1193/904 रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि पर वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा किये गये जबरन व अवैध कब्जा/अतिक्रमण [illegible] से खाली करवाया जाकर, पत्थरगढ़ी नेखम पैमाईश के जरिये लगाये गये सीमा चिन्हों की भूमि जो वादी के हक हिस्से की है, वादी को सुपुर्द की जाकर वादी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

अवैध व जबरन कब्जा अतिक्रमण से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को विधिनुसार कब्जा हस्तांतरण सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये जाते ह। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गय

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

( सुरेन्द्र सिंह खंगारोत )
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)
( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :–

लुम्बाराम पुत्र रणछाराम जाति रबारी निवासी सोलंकियों का वास सिवाना
तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. गोबरराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी
2. हिमताराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी
3. जुंजाराम पुत्र चेलाराम जाति चौधरी
4. तुलसाराम पुत्र मूलाराम जाति चौधरी
5. आाम्बाराम पुत्र कपूराराम जाति चौधरी
6. जम्मुदेवी पत्नी कपूराराम जाति चौधरी
7. तुलछाराम पुत्र मूलाराम जाति चौधरी
8. देवा पुत्र विरदा जाति चौधरी
9. पुखराज पुत्र कपूराराम जाति चौधरी
10. भीखाराम पुत्र कपूराराम जाति चौधरी
11. रूपा पुत्र विरदा जाति चौधरी
12. रामा पुत्र विरदा जाति चौधरी

सभी निवासी ग्राम मेली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

## दावा बाबत कब्जा बेदखली

**निर्णय दिनांक :–12.03.26**

**मुकदमा नंबर :–88 / 2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह सोढा व हीराचन्द सुथार व मिनजानिव मुद्दई श्री बशीर हुसैन शेख, श्री इमरान खान व श्री विक्रम जैन अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिक्री दी जाती है कि मौजा मेली तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1193 / 904 रकबा 2.5040 हैक्टेयर भूमि पर वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा किये गये जबरन व अवैध कब्जा / अतिक्रमण को खाली करवाया जाकर, पत्थरगढ़ी नेखम पैमाईश के जरिये लगाये गये सीमा चिन्हों की भूमि जो वादी के हक हिस्से की है, वादी को सुपुर्द की जाकर वादी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध व जबरन कब्जा अतिक्रमण से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को विधिनुसार कब्जा हस्तांतरण सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.03.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सिवाना

( सुरेन्द्र सिंह खंगारोत )
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना